

भारत सरकार
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
(विद्युत मंत्रालय)
सेवा भवन (उत्तरी खंड) कक्ष सं. 622, छठा तल,
आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
टेली फैक्स - 26103246, ई-मेल - celegal-cea@gov.in
वेबसाइट - www.cea.nic.in

सार्वजनिक नोटिस

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177(2) के अनुसरण में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और इलेक्ट्रिक लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 दिनांक 20.08.2010 को में अधिसूचित किया गया था। अब उपर्युक्त विनियमों में विशिष्ट खंडों को पुनः संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। उक्त विनियमों में प्रस्तावित प्रारूप संशोधन के.वि.प्रा. की वेबसाइट www.cea.nic.in पर उपलब्ध हैं। विनियमों में प्रस्तावित प्रारूप संशोधन **04 अप्रैल, 2019** तक 11:00 बजे से 16:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को मुख्य अभियंता (विधि), कमरा नं. 622, सेवा भवन (उत्तरी खंड), छठा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

सभी हितधारकों एवं आम जनता से प्रारूप विनियमों पर अपनी टिप्पणियां डाक अथवा ई-मेल के जरिए मुख्य अभियंता (विधि), कमरा नं. 622, सेवा भवन, (उत्तरी खंड), 6वां तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 को को **04 अप्रैल, 2019** तक भेजने का अनुरोध किया जाता है।

(पी सी कुरील)
सचिव, के.वि.प्रा.

Amendment proposed in Central Electricity Authority (Technical Standards for Construction of electrical Plants and Electric Lines) Regulations, 2010

- In the said Regulations, after Regulation 74(1) the following Regulation 74(1 A) shall be inserted, namely:-

For consumers supplied at voltage not exceeding 650 V (except mines and oil fields), the r.m.s value of Voltage at the point of commencement of supply of electricity, shall be as follows:

- (i) Single Phase 230 Volts between phase and neutral.
- (ii) Three Phase 400 Volts between phases.

Provided that the permissible variation in voltage at the point of commencement of supply of electricity, shall be as per relevant Indian Standard.

Explanation:- For the purpose of sub-regulation 74(1A), the expression "point of commencement of supply of electricity" shall mean the point at the outgoing terminal of meter installed at the consumer premises.